

प्रेस नोट
थाना रक्सा, जनपद झाँसी

दिनांक-19.09.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- थाना रक्सा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार,
- गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री विकस कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 19.09.2026 को थाना रक्सा पुलिस द्वारा मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), झाँसी द्वारा जारी गैर जमानती वारंट (NBW) केस नं0 687/24, मु0अ0सं0 134/21, धारा 135 विद्युत अधिनियम सम्बन्धित 01 नफर वारंटी अभियुक्त सतीश राजपूत पुत्र स्व० भजनलाल, उम्र करीब 38 वर्ष, निवासी नयाकुआ, थाना रक्सा, जनपद झाँसी को गिरफ्तार किया। विधिक कार्यवाही के उपरान्त वारंटी अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

सतीश राजपूत पुत्र स्व० भजनलाल, निवासी नयाकुआ, थाना रक्सा, जनपद झाँसी, उम्र करीब 38 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उप निरीक्षक रामवीर सिंह, थाना रक्सा, जनपद झाँसी
2. का0 1198 दिलीप त्रिपाठी, थाना रक्सा, जनपद झाँसी